भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1337

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण 1948 (शक)

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

†**1337. श्री बिप्लब कुमार देब:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेष रूप से त्रिपुरा राज्य में, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें लाभार्थियों की संख्या और इसके अंतर्गत कितनी राशि संवितरित की गई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली बेरोजगारी सहायता की पात्रता मानदंडों और अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) दावा प्रक्रिया को सरल बनाने और लाभों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का योजना के अंतर्गत लाभ की दरों में संशोधन करने या इसके दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के विस्तार को दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 30.06.2027 तक मंजूरी दे दी है।

जारी-2/--

देश में और त्रिपुरा राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या और संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्नक में है।

(ख): अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

(i) बीमित व्यक्ति अपनी बेरोजगारी से ठीक पहले न्यूनतम 12 महीने की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से ठीक पहले के 12 महीनों में एक पूर्ण अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया होना चाहिए।

(ii) बेरोजगारी दुराचार के कारण, तालाबंदी के दौरान, अधिवर्षता के कारण, या ईएसआई अधिनियम, 1948 के उपबंध के अधीन गलत बयान के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

(ग): योजना के अंतर्गत दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें दावों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण और प्रसंस्करण, लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तथा लाभों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने हेतु दावा निपटान की नियमित निगरानी शामिल है।

(घ): वर्तमान में, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अधीन लाभ की दरों में संशोधन करने या इसके दायरे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

* *******

संलग्नक

"अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना" के संबंध श्री बिप्लब कुमार देब द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1337 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित संलग्नक।

वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के दौरान अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अधीन लाभार्थियों के संबंध में किए गए व्यय का ब्यौरा:

	अखिल भारतीय आंकड़े		त्रिपुरा राज्य के आंकड़े	
वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि रुपये में।
2023-24	688	1,01,87,728	0	0
2024-25	1,978	2,72,08,672	0	0
2025-26	1,406	1,52,20,915	01	8,276

(स्रोत: ईएसआईसी मुख्यालय।)
